

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

प्रस्ताव बनाम तहसीलदार श्रीकंद ग्रामीण
 किस्म मुकदमा इमराय मु.नं. 15 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17 ¹² / ₂₅	<p>पवावली पेश हुई। वसील पार्टी। डिडीदार उप। प्रकरण इमराय में तर्जित निर्णय व डिडी की पालना के संबंध में तहसीलदार, श्रीकंद ग्रामीण के पत्रांक भू.अ. (25/4186 डि. 19/12) के द्वारा पालना की जाऊ पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इमराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पवावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोक दी जाती है। पवावली फैसल शुमार होऊ बंद तहसील दायिल बन्द है।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 एवं जिला-सीकर

